न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/टीए/7686/01/भरतपुर

1. अमरसिंह पुत्र साधूराम
2. केदारसिंह पुत्र साधूराम
3. दाखा देवी विधवा साधूराम
   –सभी जाति खटीक निवासी बाजौली, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

............अपीलार्थीगण

बनाम

1. भोला पुत्र हीरा जाति जाट
2. नवाब खां पुत्र मुरारी जाति फकीर
3. नसीब खां पुत्र हण्डू जाति गद्दी
4. अल्लो पुत्र हण्डू जाति गद्दी
   निवासी बाजौली, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

............प्रत्यर्थीगण/रेस्पो0

खण्ड–पीठ
डॉ0 जी.के.तिवारी , सदस्य
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंन्टस्

दिनांक : 26/09/2011

निर्णय

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत यह अपील भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 257/2001 (223) में पारित निर्णय दिनांक 03–11–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर बयाना (परीक्षण न्यायालय) में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 154 रकबा 0.32 एयर वाके ग्राम बाजौली तहसील बयाना के वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंटस् का वादग्रस्त आराजी से कोई सारोकार एंव लेनादेना नहीं होने के बावजूद अपीलांटस की खातेदारी कब्जेकाश्त आराजी में दखलदांजी करते है। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुये वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से वादीगण अपीलांट्स को विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मानते हुये रेस्पोडेंट्स को विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलांदाजी व मजाहमत नहीं करने के आदेश दिनांक 2.7.01 से पाबंद करते हुये वादीगण के पक्ष में डिकी पारित कर दी। परीक्षण न्यायालय के

26/9/11

उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.7.01 से रूष्ट होकर रेस्पोंडेंटस् द्वारा प्रथम अपील विद्वान भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालम) में प्रस्तुत की। उक्त अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय एंव डिक्री दिनांक 2.7.01 निरस्त कर दिया। प्रथम अपील में पारित उक्त निर्णय दिनांक 3.11.01 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है ।

3. अपील मीमों के अनुसार द्वितीय अपील के लिये जो आधार बताये गये हैं वे इस प्रकार है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं की है। परीक्षण न्यायालय में वादीगण का वाद दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः साबित होने के कारण डिक्री किया गया था। प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है, जबकि वादीगण/अपीलार्थीगण उक्त भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। फिर भी तथ्यों एंव साक्ष्य के विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिवादीगण का कब्जा मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.11.01 पारित किया है जो एक विधिक भूल है। विवादित भूमि कृषि भूमि है जिसको राजस्व अपील प्राधिकारी ने आबादी भूमि मानकर कानूनी भूल की है। विवादित आराजी अपीलांट के पिता ने दिनांक 17.7.86 को पंजीकृत विकय पत्र से कय की थी। तबसे ही उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता काबिज काश्त में और उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। निर्णय दिनांक 3.11.01 पारित करते समय राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण का कब्जा मानकर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.01 को अपास्त करने व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.7.01 को बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी पक्ष की तरफ विद्वान अभिभाषक श्री यज्ञदत्त शर्मा द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को संक्षेप में दोहराते हुये तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकियात बना कर तथा तनकीवार साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचना करके पारित किये गये विधि सम्मत निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपास्त कर दिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ना तो प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजात का विस्तृत परीक्षण किया है और ना ही बिन्दुवार निष्कर्ष अंकित कर निर्णय पारित किया है, जो कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आर्डर 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निर्णय की पात्रता ही पूरी नहीं करता है और इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान श्री शर्मा का यह भी तर्क है कि विवादित भूमि वक्त दावा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी सम्बत 2055–58 के अनुसार कृषि भूमि दर्ज है जिसको प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के आबादी भूमि मान कर राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर मान लिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष राजस्व रिकॉर्ड और विधि के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी की तरफ से जवाबी बहस में विद्वान अभिभाषक श्री जे. के पुरोहित का तर्क है कि जिस दिन अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था, उस समय राजस्व रिकॉर्ड में वादी/अपीलार्थी के नाम खातेदारी ही दर्ज नहीं थी और इस कारण वादी/अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का दावा लाने के लिये सक्षम ही नहीं था। इसके साथ ही विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थी पक्ष का कब्जा भी नहीं था और इस कारण भी

निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य ही नहीं थां। विवादित भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं हो रहा था और उस पर जो गैर कृषि कब्जा गैत झोंपडा आदि के रूप में था वह प्रतिवादी/प्रत्यर्थी पक्ष का था। अतः प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-11-2001 विधि सम्मत और सही है जिसमें द्वितीय अपील के दौरान हस्तक्षेप का कोई आधार नही है। दोनों ही पक्षों द्वारा अपने तर्को के समर्थन में अनेक न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं, जिन पर आगे चर्चा की जायेगी।

5. अपील मीमो में वर्णित तथ्यों, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03-11-2001, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02-07-2001 और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। हस्तगत अपील के निस्तारण हेतु मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर विचारण एवं विनिश्चयन अपेक्षित है:-

(1) प्रथम यह कि क्या दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को विवादित भूमि की खातेदारी वादी/अपीलान्ट के नाम नहीं होने के कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उसका दावा चलने योग्य नहीं था?

(2) द्वितीय यह कि क्या विवादित भूमि आबादी भूमि है और इससे सम्बन्धित वादी/ अपीलान्ट का दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं था और इस कारण परीक्षण न्यायालय को इस दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था?

(3) तृतीय यह कि क्या सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आर्डर 41 नियम 31 की पालना नहीं करने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गंभीर विधिक त्रुटि से ग्रसित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है?

6. प्रत्यर्थी पक्ष का एक प्रमुख तर्क यह है कि जिस दिन अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था, उस समय राजस्व रिकॉर्ड में वादी/अपीलार्थी के नाम खातेदारी ही दर्ज नहीं थी और इस कारण वादी/अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का दावा लाने के लिये सक्षम ही नहीं था। इसके साथ ही विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थी पक्ष का कब्जा भी नहीं था और इस कारण भी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य ही नहीं था। प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नयाय दृष्टान्तों की रोशनी में वर्तमान प्रकरण का परीक्षण करने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड (नकल जमाबन्दी सम्वत 2055-2058 एक्स-1) से यह साबित है कि विवादित भूमि वादीगण-अपीलान्ट्स के पिता/पति श्री साधुराम के खातेदारी में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने वाद में अभिलिखित इस कथन का भी प्रतिवादीगण-प्रत्यर्थीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है कि दावे की दिनांक को रिकॉर्डेड खातेदार श्री साधुराम का निधन हो चुका था और वादीगण/अपीलान्ट्स उसके प्राकृतिक वारिसान (natural successors) हैं। प्रतिवादीगण-प्रत्यर्थीगण की तरफ से इस सम्बन्ध में जो न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें:-

(1) 1975 आरआरडी 461 में मृतका का कथित दत्तक पुत्र अभिलिखित उपकृषक-वादीगण के कब्जा काश्त में दखल दे रहा था। परीक्षण न्यायालय द्वारा कब्जे व काश्त और उप-कृषक दर्ज होने के आधार पर वादीगण का दावा तहत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिकी किया गया था।

अपील के दौरान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया और द्वितीय अपील में राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा अभिलिखित उप–कृषक हनूमान आदि के पक्ष में तथा दत्तक पुत्र गंगाराम, जिसके नाम अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में टीनेंसी दर्ज नहीं हुई थी और टीनेंसी उसकी दत्तक मा स्व. दरखा के नाम ही थी, के विरूद्ध निर्णय पारित किया था। इस प्रकार इस प्रकरण में दिया गया निर्णय प्राकृतिक वारिसान (natural successors) के वर्तमान प्रकरण से भिन्न तथ्यों पर आधारित था।

(2) 1998 आरआरडी 523 में अपीलार्थीगण द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि के हक और कब्जे का दावा किया गया था, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम नहीं था। अतः मण्डल की माननीय खण्ड पीठ द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि:– "Appellants were not tenants on the day of filing the suit under Section 188. Even if their possession (as is being claimed by them) is proved in view of unregistered agreement no title or right can be transferred to them through this document." इस प्रकार इस दृष्टान्त के तहत जो प्रकरण विचाराधीन था, उसके तथ्य भी वर्तमान प्रकरण, जिसमें वादी/अपीलार्थी रिकॉर्डेड खातेदार का पुत्र हो कर विवादित भूमि का प्राकृतिक उत्तराधिकारी है, से सर्वथा भिन्न है।

(3) 1996 आरआरडी 294 में विवादित भूमि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा लाने की दिनांक. को सिवायचक दर्ज थी। अतः उक्त प्रकरण के न्याय दृष्टान्त को भी वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं किया जा सकता है।

(4) 1994 आरआरडी 326 में यह अभिनिर्धारित है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत दावा लाने के लिये वादी को दावे की दिनांक को अपना वास्तविक भौतिक कब्जा सिद्ध करना होगा। हस्तगत प्रकरण में वादी/ अपीलान्ट अभिलिखित खातेदार का पुत्र एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। अतः जब तक कि अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जावे, यही माना जावेगा कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा कोई अन्यथा सबूत ना तो परीक्षण न्यायालय में, ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में और ना ही हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हमारे मत में यह न्याय दृष्टान्त वादी के धारा 188 के तहत दावा लाने के अधिकार को किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभावित नही करता है।

(5) 1995 आरआरडी 760, 1997 आरआरडी 149 और 1995 आरआरडी 517 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष कब्जे के अभाव में नही दिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में कब्जे की स्थिति बाबत हमारा मत 1994 आरआरडी 326 पर चर्चा के दौरान अंकित किया जा चुका है।

प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी न्याय दृष्टान्त सम्बन्धित प्रकरणों के तथ्यों के अनुसार सर्वथा न्यायसंगत हैं किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से सर्वथा भिन्न है। हस्तगत प्रकरण के वादीगण–अपीलान्ट्स मृतक खातेदार कृषक के प्राकृतिक वारिसान (natural successors) होने के कारण हमारे मत में विवादित भूमि पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की दखलन्दाजी को रोकने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा का दावा लाने हेतु सक्षम थे।

26/9/11

7. प्रतिवादी–प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूमि मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं आ रही है और आबादी भूमि की श्रेणी में आने के कारण राजस्व न्यायालय को यह प्रकरण सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त ही नहीं था और इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–07–2001 क्षेत्राधिकार से बाहर व विधि के विपरीत है। प्रथम अपीललीय न्यायालय का भी यही निष्कर्ष है। दूसरी तरफ अपीलार्थी का तर्क है कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि कृषि भूमि दर्ज है, अतः प्रकरण राजस्व न्यायालय द्वारा ही श्रवण योग्य है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में इस बिन्दु का परीक्षण किया गया:–

(1) अपीलार्थीपक्ष की तरफ से प्रस्तुत 1991 आरआरडी पेज 451 में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस प्रश्न का विवेचन किया गया है कि किसी भूभाग को कृषि भूमि अथवा गैर कृषि भूमि यथा आबादी भूमि मानने का आधार क्या है? माननीय खण्डपीठ द्वारा 1980 डब्ल्यूएलएन 295 में प्रतिपादित व्यवस्था की ही पुष्टि करते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:– "Although, the law nowhere defines 'agriculture land' or 'the land used for agricultural purposes' but on the basis of this authority, we can safely say that every land has to be presumed to be an agricultural land unless it is proved to be otherwise or has been recorded as such in the settlement records."

(2) प्रत्यर्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 2010 (2) आरआरटी पेज 1351 में विवादित सम्पत्ति आबादी क्षेत्र में अवस्थित, ग्राम पंचायत से पट्टासुदा मकान होने से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "Any final declaration of the title with regard to civil property situated in abadi area can be made by the competent civil court only." किन्तु हस्तगत प्रकरण पर यह दृष्टान्त चस्पा नहीं किया जा सकता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2055–2058 एक्स–1 में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और इस कारण वादी/अपीलान्ट का दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय था।

(3) इसी प्रकार 1981 आरआरडी 485 में विवादित भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज थी। भूमि का कुछ हिस्सा वादी की ही खातेदारी में गेरमुमकिन आबादी के रूप में दर्ज थी। राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा 1975 आरआरडी 191 (उच्च न्यायालय) में अभिनिर्धारित न्यायिक सिद्धान्त पर चर्चा करने के बाद यह व्यवस्था दी है कि– "...... where land is in khatedari of a person, but a portion has been shown as gair mumkin abadi, the suit would be entertainable by the revenue court and not by the Civil court." हमारे समक्ष विचाराधीन अपील में तो विवादित भूमि कृषि भूमि ही है। अतः यह न्याय दृष्टान्त प्रत्यर्थी के इस तर्क को पुष्ट नहीं करता है कि विवादित भूमि कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद भूमि का कुछ हिस्सा गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहा होने मात्र से दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं था।

(4) न्याय दृष्टान्त 1999 आरआरडी 329 में भी भूमि की किस्म के आधार पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर चर्चा की गयी है। किन्तु इससे प्रत्यर्थी

26/9/11

द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रस्तुत तर्कों को कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि इसमें 1998 आरआरडी 546 से समर्थन लेते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **आबादी क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि तब तक आबादी भूमि नहीं कहलायेगी जब तक कि संदर्भित भूमि आबादी हेतु सम्परिवर्तित नहीं कर दी जावे।**

(5) 1990 आरआरडी पेज 1 में माननीय उच्च नयायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि "विकय पत्र" शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है। 2000 आरआरडी 483 में प्रकरण कृषि भूमि सहित संयुक्त प्रकृति की सम्पत्तियों (composite properties) का था। 1995 आरआरडी 760 में यह प्रतिपादित किया गया है कि विकय पत्र की वैधानिकता के परीक्षण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। इन तीनों ही न्याय दृष्टान्तों में तथ्य हस्तगत प्रकरण से सर्वथा भिन्न होने से यह न्याय दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर हमारे मत में, चूंकि दावा दायरी के वक्त विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, अतः हमारे मत में दावा राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है। इस बिन्दु पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष सुस्थापित विधि के विपरीत है।

8. वादीगण–अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील का एक प्रमुख आधार यह लिया गया हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ना तो प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजात का विस्तृत परीक्षण किया है और ना ही बिन्दुवार निष्कर्ष अंकित कर निर्णय पारित किया है, जो कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आर्ड़र 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निर्णय की पात्रता ही पूरी नहीं करता है और इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इस बिन्दु के परीक्षण हेतु सिविल प्रकिया संहिता के आर्ड़र 41 नियम 31 का अवलोकन किया जाना उचित रहेगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

Rule 31.Contents, date and signature of judgment:

The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state—
(a) the points for determination;
(b) the decision thereon;
(c) the reasons for the decision; and
(d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled, and shall at the time that it is pronounced be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein.

इस प्रकार अपीलीय न्यायालय के लिये आर्ड़र 41 नियम 31 अनुसार अपने निर्णय में (1) विनिश्चयन हेतु बिन्दुओं का निर्धारण करना (2) इस प्रकार निर्धारित किये गये बिन्दुओं पर प्रत्येक पर निर्णय और (3) प्रत्येक बिन्दु पर किये गये निर्णय के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस बिन्दु पर हमारे समक्ष जो न्याय दृष्टान्त पेश क्रिये गये हैं, उनमें:–

(1) अपीलान्ट्स की तरफ से प्रस्तुत 2011 आरआरटी (1) पेज 93 में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों से भिन्न निष्कर्ष निकाले गये थे। माननीय खण्ड पीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्डर 41 नियम 31 के संदर्भ में 2001 डीएनजे (एससी) 433 सहित लगभग 18 न्याय दृष्टान्तों की विवेचना करते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि– **"यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय से असहमत होकर विपरीत निर्णय पारित करता है तब प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक विवाद्यक पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत होने के आधार पर साक्ष्य की विवेचना करते हुये तदनुसार निर्णय पारित करे।"**

(2) 2011 आरआरटी (1) पेज 144 में भी राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा 2001 (8) आरबीजे –एससी पेज 603 का अनुसरण करते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **न्यायालय को पृथक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष निमित्त कारणों सहित देना आज्ञापक है।** माननीय खण्ड पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जिस न्याय दृष्टान्त 2001 (8) आरबीजे –एससी पेज 603 का अनुसरण किया है उसमें निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है कि:– "However, the impugned judgment in the first appeal, is singularly silent of any decision either of documentary evidence or oral evidence. Not only that, we find that though the Trial Court had discussed the suit on ground of limitation as also on the ground that the decision in the earlier suit (OS No.93/71) operated as res-judicata against defendant No.1 only the High Court has not even considered, much less discussed, correctness of either of the two grounds on which the Trial Court had dismissed the suit. Sitting as a Court of first appeal, it was the duty of the High Court to deal with all the issues and evidence led by parties before recording its findings. It has failed to discharge the obligations placed on a First Appellate Court. The judgment under appeal is so cryptic that none of the relevant aspects have been decided is a very unsatisfactory manner. First appeal must address itself to all the issues of law and fact and decide it by giving reasons in support of the findings."

(3) 2007 आरबीजे 249 में भी मण्डल की खण्डपीठ द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 41 नियम 31 के ही संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष निकालते हुये अपना निर्णय पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में न तो समस्त तनकियात के सम्बन्ध में साक्ष्यों का उचित रूप से विवेचन किया गया है और न ही प्रत्येक तनकी के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष ही निकलता है ....." (पेरा 11)

" .... प्रकरण भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर, शिविर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः

28/9/11

निर्णय करते समय सी.पी.सी. के आर्डर 41 रूल 31 एवं नजीरों को ध्यान में रखते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करे। ....'' (पेरा 13) ऐसा करते समय माननीय खण्डपीठ द्वारा मधुकर एवं अन्य बनाम सग्रामसिंह आरबीजे (8) 2001 पेज 303 सपठित सन्तोष हजारी बनाम पुरूषोतम तिवारी 2001 (3) एससी पेज 179 का अनुसरण किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"The appellate Court has jurisdiction to reverse or affrm the findings of the Trial Court. First appeal is a valuable right of parties and unless restricted by law, the whole case is therein open for rehearing both on questions of fact and law. The judgment of the appellate court must, therefore reflect its conscious application of mind, and record findings supported by reasons, as all the issues arising alongwith the contentions put forth, and pressed by the parties for decisions of the appellate court.
While reversing a finding of fact the appellate court must come into close quarters with the reasoning assigned by the trial court and then assign its own reasons for arriving at different findings. This would satisfy the court hearing a further appeal that the first appellate court had discharged the duty expected of it."

(5) AIR 1998 SC 427 में भी प्रथम अपील के दौरान विवाद्यकों पर विस्तृत विवेचन व सकारण निष्कर्ष अंकित करने को आवश्यक माना गया है:–

"In the case on hand unfortunately the lower appellate court before revrsing the findings of the trial court on the issue of 'bonafide' requirement of the land lady for starting a cloth business failed to read the entire evidence and take into consideration all the documents placed before the court."

(6) आर्डर 41 नियम 31 की रोशनी में अपीलान्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03–11–2001 के विरूद्ध जो आधार लिया गया है, उसके खण्डन में प्रत्यर्थी की तरफ से 2006 आरआरडी 206, 2009 आरआरडी 378, 2008 आरआरडी 517, 1984 आरआरडी 42, और 2010 आरबीजे (17) पेज 297 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं। 2006 आरआरडी 206 में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आर्डर 41 नियम 31 के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गयी थी कि "प्रथम अपील न्यायालय ने प्रत्येक बिन्दु पर विचार करने के बाद निर्णय प्रदान किया है, अतः यह कहना कि प्रथम अपील न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की अवहेलना की है और तनकीवार फैसला नहीं दिया, सही नहीं है।" यह व्यवस्था देते समय आर.एल.डब्लू. 2004 (4) राज. 2358 का अनुसरण किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि " .... when appellate Court agree with the view of trial Court on evidence it need not restate effect of evidence or reiterate reason given by the trial Court." इस प्रकार इस प्रकरण में

26/9/11

अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति जताने के कारण प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत परीक्षण व सकारण निष्कर्ष को आवश्यक नहीं माना गया था। तथ्यों की भिन्नता के कारण यह प्रकरण वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी के पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, अपितु इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि यदि अपीलीय न्यायालय निचले न्यायालय के निष्कर्ष से भिन्न मत रखता है तो फिर उसके लिये आर्डर 41 नियम 31 सीपीसी अनुसार प्रत्येक बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक है। इस प्रकार यह न्याय दृष्टान्त तो अपीलान्ट के तर्क का ही समर्थन करता है।

(7) 2009 आरआरडी 378 का न्याय दृष्टान्त में भी आर्डर 41 नियम 31 के बिन्दु पर अपीलीय न्यायालय के निर्णय मे कोई अनियमितता इस लिये नहीं पायी गयी कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीवार विचारण कर निर्णय पारित किया था और अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को ही बहाल रखा था। अतः बिन्दुवार विचारण और निष्कर्ष अंकित करना अपीलीय न्यायालय के लिये आवश्यक नहीं माना गया है।

(8) 2008 आरआरडी 517 के प्रकरण में भी मण्डल की माननीय खण्डपीठ के समक्ष यह आपत्ति उठायी गयी थी कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने आर्डर 41 नियम 31 की पालना नहीं की है। इस बाबत खण्डपीठ का निष्कर्ष था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आर्डर 41 नियम 31 की पूर्ण पालना की गयी है क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा **"उन वाद बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है और तत्पश्चात् मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करते हुये सभी बिन्दुओं पर अपना मत व्यक्त करते हुये निर्णय पारित किया गया है।"**

(9) 1984 आरआरडी 42 के प्रकरण में भी अपीलान्ट के इस तर्क को सही नहीं पाया गया था कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आर्डर 41 नियम 31 की पालना नहीं की है क्योंकि मण्डल की खण्डपीठ के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश " ..... sets out clear findings on various issues after discussing them in relation to facts and evidence on record. In reversing the order of trial Court and in passing a decree in favour of the plaintiff-respondent, the Revenue Appellate Authority has, in our view, fully appreciated the evidence on record and has rightly arrived at the conclusions different from those recorded in Sub-Divisional Officer's order dismissing the suit." इस न्याय दृष्टान्त से भी इस सिद्धान्त की पुष्टी होती है कि यदि अपीलीय न्यायलय अधीनस्थ न्यायालय से भिन्न मत रखता है तो फिर उसे बिन्दुवार परीक्षण व निष्कर्षांकन करना चाहिये।

(10) 2010 आरबीजे (17) पेज 297 में भी AIR 2008 (SC) 673 का अनुसरण करते हुये यही अभिनिर्धारित किया गया है कि "The appellate court agreeing with the view of trial court need not restate the effect of the evidence or reasons given by the trial court; expression of general agreement with the reasons given by the court, decision of which is under appeal, would ordinarily suffice."

इस प्रकार आर्डर 41 नियम 31 के सम्बन्ध में दोनों ही पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सारांश और साथ ही हमारा निष्कर्ष यह है कि जब

अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बिन्दुवार / तनकीवार निष्कर्षों से सहमति जताते हुये अपीलाधीन निर्णय को बहाल रखा जाता है तो अपीलीय न्यायालय के लिये प्रत्येक बिन्दु पर दस्तावेजात व साक्ष्य की विवेचना करना और बिन्दुवार निष्कर्ष अंकित करना अनिवार्य नहीं है किन्तु जब अपीलीय न्यायालय किसी एक या एकाधिक बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय के मत से भिन्न मत रखता हो तो अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे बिन्दुओं पर साक्ष्य व दस्तावेजात की विवेचना करना और बिन्दुवार सकारण निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के मत से भिन्न मत रखते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया गया है, अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि प्रकरण के प्रमुख विवादक बिन्दुओं पर, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात की बिन्दुवार विवेचना करके प्रत्येक बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष अंकित किये जाते। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके स्पष्टतः सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आर्डर 41 नियम 31 की अवहेलना की गयी है और इस कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03–11–2001 विधिक दृष्टि से अनुचित और निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्तानुसार बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य, प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.11.01 निरस्त किये जाने योग्य, तथा प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है कि प्रकरण में विचारणीय प्रमुख बिन्दुओं पर सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के आधार पर निष्कर्षांकन करे और सकारण निर्णय पारित करें।

10 परिणामतः अपीलांटस्–पादीगण की हस्तगत अपील स्वीकार की जाती है और भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 3.11.01 को अपास्त किया जाकर प्रकरण भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को उपरोक्तानुसार निष्कर्ष अंकित करते हुये सकारण निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मूलचन्द मीणा) 26/9/11
सदस्य

(डा0जी.के.तिवारी)
सदस्य